८

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर॰ए॰एस॰)

मुकदमा नम्बर 01/2020 — दायर दिनांक–03.01.2020

1. मोहनलाल उर्फ सोहनलाल पुत्र चिरंजीलाल जाति डाकोत (भार्गव) निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज0।
2. गीता देवी पत्नी चिरंजीलाल जाति डाकोत (भार्गव) निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज0।

– आवेदकगण

बनाम

1. कालूराम पुत्र सीताराम
2. छगनलाल पुत्र सांवरमल
3. नौरंग पुत्र सांवरमल
4. पल्लु पुत्र सीताराम
5. राधा उर्फ मघी देवी पत्नी सांवरमल
6. हीरालाल पुत्र सांवरमल
7. किशोर पुत्र जगदीश
8. धनेश पुत्र महावीर
9. नन्दलाल पुत्र जगदीश
10. बंशीधर पुत्र बंशीधर **(नाम हजफ)**
11. भोलू पुत्र बंशीधर
12. मुरलीधर पुत्र बंशीधर
13. महेश पुत्र बंशीधर
14. सावित्री पत्नी महावीर
15. सोनाराम पुत्र महावीर
16. मक्खन पुत्र जगदीश
    समस्त जाति डाकोत (भार्गव) निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज0।
17. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज0।

–अनावेदकगण

वकील वादी : – श्रीमती स्नेहलता
वकील प्रति॰ नं॰ :– एकपक्षीय

प्रार्थना बाबत अं. धारा 111, 128
भू–राजस्व अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 30.06.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– [illegible] परसरामपुरा की सरहद में भूमि खाता सं. नया 390 की भूमि खसरा नम्बर 2754 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर [illegible]62 रकबा 0.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 2764 रकबा 0.33 हैक्टर की खातेदारी आवेदकगण के नाम है तथा [illegible] भूमि खसरा नम्बर 3948/2762 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 3950/2764 रकबा 0.3[illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 3952/2754 रकबा 0.36 हैक्टर है जिनकी खातेदारी अनावेदकगण न. 1 लगायत 6 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या [illegible] खसरा नम्बर 3947/2762 रकबा 0.05 हैक्टर जो आवेदकगण व अनावेदकगण [illegible] खातेदारी में दर्ज है तथा [illegible] संख्या 367 खसरा नम्बर 3942/2762 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 3951/2764 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नम्बर

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

9

39.../2754 रकबा 0.16 हैक्टर की खातेदारी अनावेदकगण नं. 7 लगायत 15 के नाम दर्ज है। इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्जशुदा चला आ रहा है। सभी खातो की भूमि एक ही जगह अवस्थित है।

आवेदकगण द्वारा सीमाज्ञान प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 25.04.2019 को श्रीमान् तहसीलदार नवलगढ आदेश क्रमांक 10, 11 दिनांक 24.04.2019 एंव आदेश क्रमांक 84 दिनांक 03.05.2018 की पालना में पटवारी हलका परसरामपुरा द्वारा मौके पर पहूंचकर जरीब चलाकर सीमाज्ञान करवाया। उक्त सीमाज्ञान की फर्द रिपोर्ट दिनांक 25.07.2019 को बनाकर तहसीलदार नवलगढ के यहां प्रस्तुत कर दी, पटवारी हल्का द्वारा फर्द मौका सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगड्डी करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अं. धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ ताकि पत्थरगड्डी होने आवेदकगण अपनी खातेदारी भूमि के चारो ओर तारबन्दी करवा सकें।

अनावेदकगण को पक्षकार इसलिये बनाया गया है कि पक्षकार उपस्थित नहीं है, बाहर होने के कारण से पक्षकार बनाया है। अनावेदक नं. 10 बंशीधर पुत्र बंशीधर इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, जमाबन्दी में नाम होने से पक्षकार बनाया गया है।

आवेदकगण द्वारा प्रर्थना पत्र में अनुतोष चाहा है कि प्रार्थना–पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2754 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 2762 रकबा 0.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 2764 रकबा 0.33 हैक्टर की पत्थरगड्डी सीमाज्ञान दिनांक 25.07.2019 के अनुसार अनावेदकगण नं. 17 तहसीलदार महोदय के आदेश दिया जावें कि मौके पर पहूंचकर पत्थरगड्डी की जावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पद बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदगगण संख्या 01 लगायत 9 व 11 लगायत 17 बावजूद तामिल उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षयी कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक संख्या 10 का प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रिकार्ड में नाम बंशीधर पुत्र बंशीधर दर्ज होने से उक्त संबंध में तहसीलदार नवलगढ से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट अनुसार बंशीधर के बंशीधर नाम को कोई पुत्र संतान नही है। राजस्व रिकार्ड में बंशीधर पुत्र बंशीधर गलत अंकन हुआ है। तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट अनुसार बंशीधर पुत्र बंशीधर नाम को कोई व्यक्ति नही होने से अनावेदक संख्या 10 का नाम हजफ किया जाता है।

बहस वकील आवेदकगण सुनी गई। विद्वान आवेदकगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तहसीलदार नवलगढ़ के द्वारा दिनांक 20.05.2019 करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगड्डी करने का निवेदन किया।

बहस का मनन किया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा दिनांक 20.05.2019 को कराये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित है। आवेदकगण को अपनी खातेदारी की भूमि में पत्थरगड्डी करवाने का अधिकार है। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से आवेदकगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम **परसरामपुरा** की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2754 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 2762 रकबा 0.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 2764 रकबा 0.33 हैक्टर की फर्द मौका (सीमाज्ञान) दिनांक 20.05.2019 के अनुसार पत्थरगड्डी शुल्क राजकोष में आवेदकगण द्वारा जमा कराने पर वर्णित भूमि के सीमाओं पर पत्थगड्डी करने का तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 20.05.2019 निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08–03–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.6.22

दमयंती कंवर (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested

फर्द मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 21-06-2022 को प.क. परशुरामपुरा के खाता संख्या 610 में खातेदार बंशीधर पुत्र बंशीधर हि. 1/8 जाति भार्गव के नाम संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन की जाँच हेतु मौके पर पहुँचा एवं उपस्थित मौतबिरानों के समक्ष जाँच की। उपस्थित मौतबिरानों द्वारा बताया गया कि बंशीधर के बंशीधर नाम का कोई पुत्र नहीं है। इस प्रकार फर्द मौका रिपोर्ट बनाई जाकर पढ़कर सुनाई गई एवं उपस्थित मौतबिरानों के हस्ताक्षर अंगूठे कराये गये। उपस्थित मौतबिरानों द्वारा बताया गया कि बंशीधर के पिता का नाम लादूराम है। जिसके दस्तावेज संलग्न है।

परसराम

मोलाराम
(मोलाराम पि. बंशीधर)

अशोक
(अशोक पि. मुरलीधर)
M [illegible]276995
[illegible]3200

सोहनलाल
(सोहनलाल पि. चिरंजीलाल)

कालूराम
(कालूराम पि. सीताराम)
Mo- 9958355308

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:28:56 IST
Reason: SelfAttested